

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

पंकज अग्रवाल एवं अन्य

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

2023 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 11720

22.08.2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह)

विचार के लिए मुद्दा

क्या वर्तमान रिट याचिका धारा 16, अभिभावक एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के अंतर्गत वैकल्पिक वैधानिक अपील उपाय की उपलब्धता के मद्देनजर ग्राह्य है?

हेडनोट्स

अधिनियम, 2007 की धारा 16(1) के अंतर्गत अपील का अधिकार दोनों पक्षों को प्रदान किया गया है, अर्थात् कोई भी प्रभावित पक्ष अपील दायर कर सकता है। याचिकाकर्ताओं के पास अधिनियम, 2007 की धारा 16 के अंतर्गत वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है, जिसके अंतर्गत वे उत्तरदाता संख्या 3 द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील दायर कर सकते हैं। - याचिकाकर्ताओं को अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष उपयुक्त अपील दायर करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। (पैरा - 8, 9)

न्याय दृष्टान्त

परमीजीत कुमार सरोया बनाम भारत संघ एवं अन्य, 2014 एससीसी ऑनलाइन पंजाब एवं हरियाणा 10864; स्मिट. एम. सुनीता बनाम स्मिट. एम. शशिकला मुगदुरा एवं अन्य, डब्ल्यूपी संख्या 147056/2020 (कर्नाटक उच्च न्यायालय); राखी शर्मा बनाम राज्य एवं अन्य, 2021 एससीसी ऑनलाइन दिल्ली 1327; नवीन कुमार बनाम जीएनसीटीडी, डब्ल्यूपी(सी) 1337/2020; श्री अमित कुमार बनाम श्रीमती किरण शर्मा, डब्ल्यूपी(सी) 106/2021; श्री शुमीर ओलिवर बनाम जीएनसीटीडी, डब्ल्यूपी(सी) 2857/2021

अधिनियमों की सूची

अभिभावक एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007

मुख्य शब्दों की सूची

भरण-पोषण अधिकरण; धारा 16 के अंतर्गत अपील; वरिष्ठ नागरिक अधिनियम; वैकल्पिक उपाय; निष्कासन आदेश; सांविधिक व्याख्या; अपील का अधिकार; अनुमंडलीय दंडाधिकारी

प्रकरण से उत्पन्न

दिनांक 24.06.2023 (स्मरण पत्र दिनांक 26.06.2023) का आदेश, जो अध्यक्ष, अभियकरण समिति सह अनुमंडलीय दंडाधिकारी, पटना सदर, पटना द्वारा परकरण केस संख्या 35/2023 में पारित किया गया।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : सुश्री सोनी श्रीवास्तव, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री शिव शंकर प्रसाद, एससी-8

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2023 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 11720

- =====
1. पंकज अग्रवाल, पिता - बाबू लाल अग्रवाल, निवासी - गोयल हाउस, बोरिंग रोड, यमुना अपार्टमेंट के पास, थाना - एस. के. पुरी, जिला-पटना।
 2. प्रीति अग्रवाल, पति - पंकज अग्रवाल, पुत्री - स्वर्गीय मोहन प्रसाद गोयल, निवासी - गोयल हाउस, बोरिंग रोड, यमुना अपार्टमेंट के पास, थाना - एस. के. पुरी, जिला पटना।

... .. याचिकाकर्ता/ओ

बनाम

1. बिहार राज्य
2. जिला दंडाधिकारी, पटना।
3. अनुमंडल दंडाधिकारी, पटना सदर, पटना सह अध्यक्ष अभिकरण समिति।
4. पुलिस उपाधीक्षक, सचिवालय, पटना।
5. प्रभारी अधिकारी, एस. के. पुरी थाना, पटना।
6. सावित्री देवी, पति - स्वर्गीय मोहन प्रसाद गोयल, निवासी - गोयल हाउस, बोरिंग रोड, यमुना अपार्टमेंट के पास, थाना - एस. के. पुरी, जिला-पटना।

.... .. उत्तरदाता/ओ

=====

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : सुश्री सोनी श्रीवास्तव, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री शिव शंकर प्रसाद, एससी-8

=====

गणपूर्ति: माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह

मौखिक निर्णय

तारीख: 22-08-2023

वर्तमान रिट याचिका अभिकरण समिति के अध्यक्ष-सह-अनुमंडल दंडाधिकारी, पटना सदर, पटना अर्थात उत्तरदाता संख्या 3 द्वारा अभिभावक और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-

पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 (जिसे इसके बाद "अधिनियम, 2007" के रूप में संदर्भित किया गया है), के तहत परकरण मामला सं. 35/2023 में पारित ज्ञापन दिनांक 24.06.2023 के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसके तहत विद्वान न्यायाधिकरण ने याचिकाकर्ताओं को थाना - ए स. के. पुरी, जिला - पटना में स्थित डोसा हाउस होटल को खाली करने का निर्देश दिया है।

2. शुरुआत में, एक सवाल उठाया गया है कि क्या याचिकाकर्ताओं के लिए वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता को देखते हुए वर्तमान रिट याचिका अपने वर्तमान रूप में बनाए रखने योग्य है, क्योंकि उत्तरदाता संख्या 3 द्वारा पारित उपरोक्त आदेश को याचिकाकर्ताओं द्वारा अधिनियम, 2007 की धारा 16 के तहत अपील दायर करके चुनौती दी जा सकती है। याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील तर्क देते हैं कि अधिनियम, 2007 की धारा 16 (1) की भाषा को देखते हुए, यह संदिग्ध है कि क्या याचिकाकर्ताओं, जो वरिष्ठ नागरिक के दामाद और बेटी हैं, अर्थात निजी उत्तरदाता संख्या 6, के कहने पर अपील विचारणीय होगी।

3. इस न्यायालय ने पाया कि अधिनियम, 2007 की धारा 15 में न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील की सुनवाई करने के लिए प्रत्येक जिले के लिए एक अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान है, हालांकि, इसमें कहीं भी उल्लेख नहीं है कि न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील एक वरिष्ठ नागरिक या माता-पिता तक ही सीमित है और इसके अलावा, अपील दायर करने के अधिकार को भी अधिनियम, 2007 की धारा 16(1) में निहित प्रावधानों द्वारा विशेष रूप से वंचित नहीं किया गया है। वास्तव में, अधिनियम, 2007 में ऐसा कोई नकारात्मक प्रावधान नहीं है, जो अन्य पक्षों को अपील करने के अधिकार से वंचित करता है, जबकि अधिनियम, 2007 के प्रावधानों से पता चलता है कि इसके विपरीत, दोनों पक्षों से अपील की परिकल्पना की गई है।

4. इस मोड़ पर, अधिनियम, 2007 की निम्नलिखित धारा 15 और 16 को पुनः प्रस्तुत करना प्रासंगिक होगाः.

15. अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन -

(1). राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक जिले के लिए एक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन कर सकती है जो न्यायाधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई करेगा।

(2). अपीलीय न्यायाधिकरण की अध्यक्षता जिला दंडाधिकारी के पद से कम के अधिकारी द्वारा नहीं की जाएगी।

16. अपीलें -

(1). न्यायाधिकरण के आदेश से व्यथित कोई भी वरिष्ठ नागरिक या माता-पिता जैसा भी मामला हो, आदेश की तारीख से साठ दिनों के भीतर, अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील कर सकते हैं:

बशर्ते कि अपील पर, बच्चे या रिश्तेदार जिन्हें इस तरह के रखरखाव आदेश के संदर्भ में किसी भी राशि का भुगतान करना आवश्यक है, वे ऐसे माता-पिता को इस तरह से आदेशित राशि का भुगतान अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा निर्देशित तरीके से करना जारी रखेंगे:

बशर्ते कि अपीलीय न्यायाधिकरण, साठ दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति को परिवर्तित करने वाली अपील पर विचार कर सकता है, यदि यह संतुष्ट हो कि अपीलार्थी को समय पर अपील करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था।

(2). अपील की प्राप्ति पर, अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तरदाता को एक नोटिस तामील कराएगा।

(3). अपीलीय न्यायाधिकरण उस न्यायाधिकरण से कार्यवाही का रिकॉर्ड मांग सकता है जिसके आदेश के विरुद्ध अपील दायर की गई है।

(4). अपीलीय न्यायाधिकरण, अपील और मांगे गए रिकॉर्ड की जांच करने के बाद या तो अपील की अनुमति दे सकता है या अस्वीकार कर सकता है।

(5). अपीलीय न्यायाधिकरण, न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर निर्णय लेगा और अपीलीय न्यायाधिकरण का आदेश अंतिम होगा:

बशर्ते कि कोई भी अपील तब तक खारिज नहीं की जाएगी जब तक कि दोनों पक्षों को व्यक्तिगत रूप से या विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हो।

(6). अपीलीय न्यायाधिकरण अपील प्राप्त होने के एक महीने के भीतर लिखित रूप में अपना आदेश देने का प्रयास करेगा।

(7). उप-धारा (5) के तहत किए गए प्रत्येक आदेश की एक प्रति दोनों पक्षों को निःशुल्क भेजी जाएगी।”

5. इस न्यायालय ने पाया कि उपरोक्त मुद्दा अब एकीकृत नहीं है, क्योंकि इसका निर्णय माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की विद्वान खंडपीठ द्वारा, *परमजीत कुमार सरोया बनाम भारत संघ एवं अन्य, 2014* के मामले में दिया तय किया जा चुका है, जो 2014 एस.सी.सी ऑनलाइन पी & एच 10864 में रिपोर्ट किया गया है, जिसका प्रासंगिक भाग नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

“न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ” एक अपील की परिकल्पना की गई है। इस प्रकार धारा 15 पढ़ी जाती है। यह केवल वरिष्ठ नागरिक या माता-पिता द्वारा की जाने वाली अपील की बात नहीं करती। हालांकि, धारा 16 की उप धारा (1) किसी भी वरिष्ठ नागरिक या माता-पिता को “न्यायाधिकरण के आदेश से व्यथित” संदर्भित करती है। यह एक सादे पठन पर एक धारणा देने का प्रयास करता है कि केवल वरिष्ठ नागरिक या माता-पिता ही अपील कर सकते हैं और इस प्रकार, अपील को केवल एक पक्ष के समूह तक सीमित कर दिया गया है, जबकि विपरीत पक्ष के अपील के अधिकार को अस्वीकार कर दिया गया है, जो अपील के लिए उत्तरदायी हैं। हालाँकि, इसके बाद पहला परंतुक नहीं आता है जो अपील के लंबित रहने के दौरान विवादित आदेश के संचालन से संबंधित है और स्पष्ट करता है कि अपील की लंबितता किसी भी तरह से बच्चों या रिश्तेदार के रास्ते में नहीं आएगी, जिन्हें राशि का भुगतान जारी रखने के लिए ऐसे किसी भी आदेश के संदर्भ में कोई राशि का भुगतान करने की आवश्यकता है। अब यह शायद ही कल्पना की जा सकती है कि वरिष्ठ नागरिक या माता-पिता द्वारा दायर अपील में स्थगन की अनुपस्थिति का प्रश्न हो सकता है। स्थगन के इस तरह के अभाव की परिकल्पना केवल तभी की गई थी जब किसी बच्चे या रिश्तेदार द्वारा अपील दायर की जाती है। यह वह संभावना है जिससे परंतुक संबंधित है। इस प्रकार, परंतुक उक्त अधिनियम की धारा 15 में जो निर्धारित किया गया है, उसके अनुरूप है।

याचिकाकर्ताओं ने उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) के प्रावधानों पर इस आधार पर आपत्ति जताई कि केवल प्रभावित पक्षों में से किसी एक को अपील करने का अधिकार नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही आदेश के विरुद्ध विषम स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जिससे दोनों पक्ष व्यथित हो सकते हैं, यानी जहां किसी संपत्ति या रखरखाव के संबंध में अधिक या कम दावा किया जाता है, वहां एक पक्ष वरिष्ठ नागरिक या माता-पिता होने के नाते अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील करना पसंद करेंगे, जबकि

जो पक्ष भरण-पोषण देने के लिए उत्तरदायी है, उसे उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का सहारा लेना होगा। इस प्रकार, एक ही आदेश के संबंध में विभिन्न मंचों में दो समानांतर कार्यवाहियाँ उत्पन्न होंगी। इस प्रकार, निवेदन यह है कि इन प्रावधानों को उक्त अधिनियम या संवैधानिक योजना के अन्य प्रावधानों के इरादे के रूप में खारिज कर दिया जाना चाहिए। वैकल्पिक में प्रावधान को अन्य प्रावधानों के अनुरूप बनाने के लिए पढ़ा जाना चाहिए और इस प्रकार, अन्य प्रभावित पक्ष को भी अपील करने का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए।

हम इस स्तर पर यह जोड़ सकते हैं कि शामिल मामले में जटिलता को देखते हुए इस न्यायालय को सहायता प्रदान करने के लिए, हमने न केवल वकीलों द्वारा हमारी सहायता करना उचित समझा, बल्कि मामले पर निष्पक्ष दृष्टिकोण रखने के लिए न्यायमित्र नियुक्त करना भी उचित समझा। इस प्रकार, हमने वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पुनीत बाली को न्यायमित्र नियुक्त किया, जिनकी सहायता अधिवक्ता सुश्री दिव्या शर्मा करेंगी। उन्होंने इस मामले के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक शोध किया है और इसमें संसदीय बहसों भी शामिल हैं जब उक्त अधिनियम को लागू करने के लिए विधेयक पेश किया गया था। इन बहसों के अवलोकन से पता चलता है कि उक्त अधिनियम की धारा 16(1) पर कोई बहस नहीं हुई है, और न ही वरिष्ठ नागरिकों या माता-पिता के अलावा अन्य व्यक्तियों के अपील के अधिकार को बाहर करने का कोई इरादा व्यक्त किया गया है, जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 17 पर हुई बहस में कानूनी प्रतिनिधित्व के अधिकार को बाहर रखा गया है।

विद्वान न्यायमित्र द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अपील के अधिकार का विषय केवल 10,000 रुपये तक के भरण-पोषण के मुद्दे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पक्षकारों के अधिकारों को गंभीर रूप से प्रभावित करता है, यहां तक कि अचल संपत्तियों को भी, जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 23 में निर्धारित किया गया है। इस प्रकार, अचल संपत्तियों के हस्तांतरण को अमान्य घोषित किया जा सकता है। यह शक्ति न केवल परिवार के सदस्यों या वरिष्ठ नागरिकों के बच्चों के लिए निहित है, बल्कि "प्रत्येक व्यक्ति" के लिए भी निहित है। इतना ही नहीं, जैसा कि ऊपर कहा गया है, धारा 15 और 16 (1) के प्रावधानों को सामंजस्यपूर्ण तरीके से पढ़ा जाना चाहिए। धारा 15 में कहीं भी उल्लेख नहीं है कि न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील किसी वरिष्ठ नागरिक या माता-पिता तक ही सीमित हो। धारा 16 की उपधारा (1) के पहले परंतुक के संबंध में भी

यही प्रस्ताव है, जो केवल तभी लागू होता जब अपील के लिए उत्तरदायी पक्षकार ही उत्तरदायी होता। अपील दायर करने का अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 16(1) के प्रावधानों द्वारा विशेष रूप से अपवर्जित नहीं है, लेकिन इसका उल्लेख नहीं किया गया है। हम उपयोगी रूप से धारा 16 की उप-धारा (5) का भी उल्लेख कर सकते हैं जो न्यायाधिकरण के आदेश को अंतिम रूप प्रदान करती है। इस तरह की अंतिमता दोनों पक्षों की शिकायतों को सुनने के बाद ही प्राप्त की जा सकती है। यदि अपील केवल एक पक्ष तक सीमित है, तो अंतिमता केवल उस पक्ष के अधिकारों के लिए हो सकती है जिसने अपील दायर की है और इसकी परिकल्पना विपरीत पक्ष के संबंध में नहीं की जा सकती है, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 का सहारा लेना होगा। इस प्रकार, उसी धारा की एक अन्य उप धारा इस याचिका को विश्वास दिलाती है कि उक्त अधिनियम की धारा 16 (1) को इस तरह से पढ़ा जाना चाहिए ताकि दोनों पक्षों को अपील करने का प्रावधान किया जा सके। उप-धारा (5) के परंतुक में आगे कहा गया है कि अपील को तब तक खारिज नहीं किया जा सकता जब तक कि दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हो। दोनों पक्षों के अधिकार का संदर्भ किसी भी एक पक्ष द्वारा की गई अपील के संदर्भ में होना चाहिए क्योंकि अन्यथा यह परिकल्पना की जाती है कि बच्चे या दूसरे पक्ष को सुने बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।

धारा 16 की उप-धारा (2) एक बार फिर "उत्तरदाता" को नोटिस जारी करने के लिए संदर्भित करती है न कि बच्चे या अन्य पक्ष को ऐसी स्थिति तब होता यदि अपील का अधिकार केवल माता-पिता या वरिष्ठ नागरिक को था।

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी वैधानिक अधिनियम की व्याख्या का कार्य यांत्रिक कार्य नहीं हो सकता, न ही यह न्यायाधीश के अपने विचार और शब्द हो सकते हैं। हालाँकि, इसका कोई पूर्ण समाधान नहीं है, जैसा कि लॉर्ड डेनिंग के शब्दों में कहा गया है, यह अपेक्षा करना व्यर्थ होगा कि प्रत्येक वैधानिक प्रावधान को दिव्य विवेक और पूर्ण स्पष्टता के साथ तैयार किया गया हो। यही वह जगह है जहाँ न्यायालय की भूमिका आती है।

अब उपरोक्त चर्चा के परिप्रेक्ष्य में आते हुए, हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि हमें ऐसे प्रावधान को रद्द करने के गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा जो एक पक्ष के अपील

उपचार के अधिकार से वंचित करता है, जबकि दूसरे पक्ष को यह अधिकार प्रदान करता है, विशेष रूप से उसी धारा के अन्य प्रावधानों के संदर्भ में साथ-साथ उक्त अधिनियम के अन्य प्रावधानों के संदर्भ में। हमें इससे बचना होगा। इससे बचने का एकमात्र तरीका यह है कि उद्देश्यपूर्ण व्याख्या के सिद्धांतों और केसस ओमिसस (छूटे हुए मामलों) दोनों को लागू करना आवश्यक है। उक्त अधिनियम के अन्य प्रावधानों पर संसदीय चर्चा से ऐसा कोई आशय नहीं निकलता जिसके द्वारा संसद का इस तरह का भेदभाव पैदा करने का कोई इरादा है। हमने जो कहा है उसे दोहराने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन यह कहना पर्याप्त है कि यदि कुछ और नहीं, तो कम से कम उक्त अधिनियम की धारा 16 (1) के पहले प्रावधान को अर्थ देने के लिए, एकमात्र व्याख्या यह हो सकती है कि अपील का अधिकार दोनों पक्षों को प्रदान किया गया है। यह एक आकस्मिक चूक का मामला है न कि सचेत बहिष्कार का। इस प्रकार, वैधानिक प्रावधान को पूरी तरह से प्रभावी अर्थ देने के लिए, हमें इसमें दिए गए शब्दों को पढ़ना होगा, जो कि पैरा 55 में एन. कन्नदासन के मामले (ऊपर) में सुझाए गए कार्रवाई के तरीके हैं। अन्यथा उप-धारा (1) के परंतुक का उप-धारा के साथ ही कैसे मिलान किया जा सकता है। वास्तव में, उस परंतुक की कोई आवश्यकता नहीं होगी जिसे अनावश्यक और अनावश्यक बनाया जाएगा। इस कानून के निर्माण की यह हितकारी भूमिका है कि किसी भी प्रावधान को अनावश्यक नहीं बनाया जाना चाहिए। अधिनियम में अन्य पक्षों को अपील करने के अधिकार से वंचित करने का कोई नकारात्मक प्रावधान नहीं है। अधिनियम के अन्य प्रावधानों और उपरोक्त चर्चा की गई विभिन्न उप-धाराओं से पता चलता है कि इसके विपरीत दोनों पक्षों से एक अपील की परिकल्पना की गई है। इस कार्रवाई के लिए एकमात्र अपवाद उक्त अधिनियम की धारा 16 की उप धारा (1) के प्रारंभिक शब्द हैं जिन्हें अधिनियम के आशय, उक्त अधिनियम के अन्य प्रावधानों के साथ-साथ उक्त अधिनियम की उसी उप धाराओं को भी अर्थ देने के लिए प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है। वास्तव में, *मुस्लिम वक्फ बोर्ड राजस्थान के मामले (सुप्रा)* में, केसस ओमिसस (छूटे हुए मामलों) की आपूर्ति को सचेत करते हुए भी, पैरा 29 में इस बात पर जोर दिया गया है कि जो निर्माण कानून के किसी भी हिस्से को अर्थहीन या अप्रभावी बनाता है, उससे हमेशा बचा जाना चाहिए और जो निर्माण कानून द्वारा अभिप्रेत उपचार को आगे बढ़ाता है, उसे स्वीकार किया जाना

चाहिए। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम पूरे कानून के रूप में एक सुसंगत अधिनियम बना सकते हैं।

इस प्रकार हमारा विचार है कि उक्त अधिनियम की धारा 16 (1) वैध है, लेकिन किसी भी प्रभावित पक्ष को अपील करने का अधिकार प्रदान करने के लिए इसे पढ़ा जाना चाहिए।”

6. मामले के उपरोक्त पहलू पर कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 20.07.2021 को श्रीमती एम. सुनीता बनाम श्रीमती एम. शशिकला मुगादुरा एवं अन्य [रिट याचिका संख्या 147056/2020 (जीएम-आरईएस)] के मामले में पारित निर्णय में, भी विचार किया गया है। जिसके पैराग्राफ सं. 12 का पुनरुत्पादन नीचे किया गया है:

“12. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, एकमात्र व्याख्या यह हो सकती है कि उक्त अधिनियम की धारा 16 (1) के तहत अपील का अधिकार दोनों पक्षों को प्रदान किया गया है। यह एक आकस्मिक चूक का मामला है न कि सचेत बहिष्कार का। इसलिए, अधिनियम की धारा 7 के तहत पारित आक्षेपित आदेश अधिनियम की धारा 16 के तहत एक अपील है। चूँकि याचिकाकर्ता के पास अधिनियम की धारा 16 के तहत अपील का एक वैकल्पिक उपाय है, उपरोक्त रिट याचिका का निपटारा याचिकाकर्ता को अधिनियम की धारा 16 के तहत अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करने की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखते हुए किया जाता है। यदि आज से चार सप्ताह के भीतर ऐसी अपील दायर की जाती है, तो इस न्यायालय द्वारा दिया गया अंतरिम आदेश अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील के निपटारे तक जारी रहेगा। अपीलीय प्राधिकरण को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से तीन महीने के भीतर अपील का निपटारा करे। कर्नाटक सरकार के राजस्व सचिव को निर्देश दिया जाता है की इस आदेश को सभी भरण-पोषण न्यायाधिकरणों और अपीलीय न्यायाधिकरणों को संप्रेषित करे।

तदनुसार, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।”

7. एक अन्य निर्णय में, मामले के उपरोक्त पहलू का निर्णायक रूप से निर्णय दिया गया है, अर्थात्, नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा *राखी शर्मा बनाम राज्य एवं अन्य* के मामले में, जो 2021 एस.सी.सी. ऑनलाइन डेल 1327 में प्रकाशित हुआ था, जिसके पैराग्राफ सं. 12 और 13 का पुनरुत्पादन नीचे किया गया है:

“12. यह प्रश्न कि कौन अपील को प्राथमिकता दे सकता है, इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित तीन निर्णयों में पहले ही तय किया जा चुका है:

- i. नवीन कुमार बनाम जी.एन.सी.टी.डी. [डब्ल्यू.पी.(सी) 1337/2020, 5 फरवरी, 2020 को तय किया गया];
- ii. श्री अमित कुमार बनाम श्रीमती किरण शर्मा [डब्ल्यू.पी.(सी) 106/2021, 6 जनवरी, 2021 को तय किया गया];
- iii. एस. शुमिर ओलिवर बनाम जी.एन.सी.टी.डी.[डब्ल्यू.पी.(सी) 2857/2021, 3 मार्च, 2021 को तय किया गया]

13. उपर्युक्त निर्णय स्पष्ट करते हैं कोई भी 'प्रभावित व्यक्ति' अपील को प्राथमिकता दे सकता है न कि केवल एक वरिष्ठ नागरिक या माता-पिता। इस न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की विद्वान खंड पीठ के परमजीत कुमार सरोया बनाम भारत संघ, 2014 एस.सी.सी. ऑनलाइन पी. एंड एच. 10864 के मामले में दिए गए निर्णय के अनुसरण में है।.....

8. अधिनियम, 2007 की धारा 16 (1) की व्याख्या पर विचार करते हुए, जैसा कि विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए उपर्युक्त निर्णयों में किया गया है, इस न्यायालय की भी यह राय है कि अधिनियम, 2007 के अन्य प्रावधानों के साथ पठित धारा 16 (1) की एकमात्र कानूनी और सही व्याख्या यह है कि अधिनियम, 2007 की धारा 16 (1) के तहत अपील का अधिकार दोनों पक्षों को प्रदान किया गया है, यानी किसी भी प्रभावित पक्ष द्वारा अपील दायर की जा सकती है।

9. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और साथ ही कानून में विद्यमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अर्थात याचिकाकर्ताओं के पास उत्तरदाता संख्या 3 द्वारा पारित दिनांक 24.06.2023 के आदेश के खिलाफ अधिनियम, 2007 की धारा 16 के तहत अपील को प्राथमिकता देने के माध्यम से एक वैकल्पिक उपाय है, मैं याचिकाकर्ताओं को अधिनियम, 2007 की धारा 16 के तहत अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष उचित अपील दायर करने की स्वतंत्रता देना उपयुक्त और उचित समझता हूं, जिसमें उत्तरदाता संख्या 3 द्वारा पारित 24.6.2023 के उपरोक्त आदेश को चुनौती दी गई है।

10. इस मोड़ पर, याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता ने दलील दिया है कि याचिकाकर्ताओं को अंतरिम अवधि के दौरान कुछ अंतरिम सुरक्षा प्रदान की जाए। तदनुसार, यह न्यायालय निर्देश देता है कि आज से चार सप्ताह की अवधि तक, याचिकाकर्ताओं को डोसा हाउस होटल से बेदखल नहीं किया जाएगा, जिसे उत्तरदाता संख्या 3 द्वारा खाली करने का निर्देश दिया गया है, ताकि वे अंतरिम स्थगन प्रदान करने के लिए याचिका के साथ उचित अपील दायर कर सकें।

11. वर्तमान रिट याचिका का निपटारा उपरोक्त शर्तों पर किया जाता है।

(मोहित कुमार शाह, न्यायमूर्ति)

अजय/-

खंडन (डिस्क्लेमर) - स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।